भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 638
उत्तर देने की तारीख : 06.02.2025

एमएसएमई को समर्थन देने के लिए योजनाएं/कार्यक्रम

638. श्री जी. सेल्वम:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उद्देश्यों और लक्षित लाभार्थियों सहित तमिलनाडु में एमएसएमई को विशेष रूप से समर्थन देने वाली वर्तमान में चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा और संक्षिप्त विवरण क्या है;
(ख) एमएसएमई मंत्रालय के तहत वर्तमान में तमिलनाडु में एमएसएमई के विकास, स्थिरता और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई प्रमुख पहल क्या है;
(ग) तमिलनाडु में ऋण गारंटी योजनाओं, ऋण राजसहायता और कार्यशील पूंजी सहायता कार्यक्रमों के तहत एमएसएमई को संवितरित कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या तमिलनाडु में एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : सरकार तमिलनाडु सहित देश में एमएसएमई के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र और मांग आधारित स्कीमों, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), पीएम विश्वकर्मा (पीएमवी), सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) और एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में तेजी और गतिवर्धन (रैम्प), एमएसएमई चैम्पियंस स्कीम आदि शामिल हैं।

सरकार ने विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों तथा नीतिगत पहलों के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र के लिए वृद्धि, स्थायित्व, प्रौद्योगिकीय आधुनिकीकरण तथा बाजार तक पहुंच के संवर्धन हेतु कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

i. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
ii. दिनांक 01.07.2020 से व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु "उद्यम पंजीकरण"। दिनांक 03.02.2025 तक 25,16,94,698 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हुए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित उद्यम पोर्टल पर 5,92,90,255 एमएसएमई पंजीकृत हैं।
iii. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का लाभ उठाने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई।
iv. सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक कठिनाई और कोलेटरल मुक्त तथा तृतीय पक्ष गारंटी के बिना क्रेडिट की सुविधा प्रदान करने हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

v. एमएसएमई को उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच और शैक्षणिक संस्थानों तथा उद्योग की भागीदारी में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश में सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी केन्द्रों/टूल रूम का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

vi. अन्य पहलों में एमएसई को हरित प्रौद्योगिकी अपनाने में सहायता प्रदान करने के लिए हरित निवेश और परिवर्तन संबंधी स्कीम के लिए वित्त पोषण तथा एमएसई के बीच सर्कुलेरिटी का संवर्धन करने में सर्कुलर अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश हेतु स्कीम सहित एमएसएमई को नई और स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए ये स्कीमें कार्यान्वयाधीन हैं।

vii. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का लाभ उठाने के प्रयोजनार्थ दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।

viii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 का कार्यान्वयन करता है। यह नीति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 4 प्रतिशत तथा महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 3 प्रतिशत सहित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 25 प्रतिशत वार्षिक खरीद अधिदेशित करती है।

ix. एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों की मार्केट तक पहुंच की सुविधा बढ़ाने के लिए खरीद और विपणन सहायता स्कीम का कार्यान्वयन करता है। यह स्कीम राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/एमएसएमई एक्सपो आदि में सहभागिता की सुविधा प्रदान करती है।

x. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, एमएसएमई को उनके उत्पादों को निर्यात करने तथा एमएसएमई को विदेशों में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में सहभागिता की सुविधा प्रदान करने और भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन करने में सहायता प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम का कार्यान्वयन करता है।

xi. पहली बार अपने उत्पादों का निर्यात करने वाले निर्यातकों की क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई) के लिए नए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रतिपूर्ति जिसमें निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाणन (आरसीएमसी), निर्यात बीमा प्रीमियम तथा निर्यात हेतु परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन पर किए गए व्यय की लागत हेतु प्रदान की जाती है।

xii. मंत्रालय ने भारत में एमएसएमई के बीच ई-कॉमर्स के व्यापक प्रचार एवं विकास के लिए रैम्प कार्यक्रम के तहत एमएसएमई टीम पहल शुरू की है। एमएसएमई टीम पहल के उद्देश्य में एमएसएमई के औपचारिकीकरण सहित एमएसएमई का डिजिटलीकरण जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हो सके, व्यवसाय करने में लागत में कमी की जा सके तथा बाजार तक पहुंच का विस्तार किया जा सके, शामिल हैं।

xiii. टीसी/ईसी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एमएसएमई की कुशल जनशक्ति की रोजगारपरकता बढ़ाना शामिल है। वर्तमान में, 25 ईसी क्रियाशील है और विगत 3 वर्षों के दौरान, इन विस्तार केन्द्रों (ईसी) द्वारा 84,025 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है तथा लगभग 1676 एमएसएमई को व्यवसायिक/तकनीकी सेवाओं में सहायता प्रदान की गई है। तमिलनाडु में परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

  i. विस्तार केन्द्र (ईसी) – मदुरै ने जनवरी, 2025 तक 4,442 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा 14 एमएसएमई को व्यवसाय/तकनीकी सेवाओं में सहायता प्रदान की गई है।

  ii. विस्तार केन्द्र (ईसी) – वनियामबड़ी स्थापित किया गया है और कैचमेंट एरिया में एमएसएमई की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा रही है। इस विस्तार केन्द्र ने जनवरी 2025 तक 2,283 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है तथा 882 एमएसएमई को व्यवसाय/तकनीकी सेवाओं में सहायता प्रदान की है।

xiv. ईएसडीपी स्कीम के तहत तमिलनाडु राज्य में कौशल और उद्यमिता संवर्धन से संबंधित विभिन्न विषयों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तमिलनाडु में आयोजित कार्यक्रमों और उनके लाभार्थियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1.	2019-20	383	16284
2.	2020-21	34	1647
3.	2021-22	31	3002
4.	2022-23	235	9433
5.	2023-24	319	16445
6.	2024-25 (दिनांक 3.2.2025)	175	8761
कुल		1177	55572

(ग) : तमिलनाडु में सीजीटीएमएसई स्कीम की प्रगति :

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को कोलेटरल सुरक्षा और तृतीय पक्ष गारंटी के बिना सदस्य ऋण प्रदाता संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गांरटी प्रदान करने हेतु, वर्ष 2000 में सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संयुक्त रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) स्थापित किया है। इसकी शुरुआत से दिनांक 31.12.2024 तक, तमिलनाडु में सीजीएस के तहत 62,606 करोड़ रुपए राशि के लिए कुल 8,30,685 क्रेडिट गारंटियां प्रदान की गई हैं।

(घ) : राज्य सरकार ने दीर्घावधिक लीज के आधार पर 13.76 एकड़ भूमि प्रदान की है। तमिलनाडु में कोयंबटूर जिला के लिए टीसी-कोयंबटूर की कुल अनुमानित परियोजना लागत 201.71 करोड़ रुपए है।

******